

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.3(11)नविवि/रीट/2021

जयपुर, दिनांक :- 20.4.2023

संशोधित आदेश

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 04.04.2023 के द्वारा राजस्थान रियल एस्टेट अपीलेंट ट्रिब्यूनल, जयपुर में पदों को भरने के क्रम में अस्थाई रूप से सृजित 12 पदों को दिनांक 28.02.2023 तक वृद्धि किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। जिसमें सहवन से अंकित उक्त वृद्धि अवधि तिथि 28.02.2023 के स्थान पर 29.02.2024 संशोधित कर पढा जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(अवधेश सिंह)

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान रीयल एस्टेट अपीलियेन्ट ट्रिब्यूनल, जयपुर।
4. रजिस्ट्रार, राजस्थान रीयल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार, राजस्थान रीयल एस्टेट अपीलियेन्ट ट्रिब्यूनल, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-3) विभाग की आई.डी. संख्या 102300861 दिनांक 16.03.2023 के क्रम में।
7. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय